DrGenius Academy

DrGenius Academy Welcomes You

Let's Begin Journey Together
And Achive Dream
Together

Dr Surendra Dhiwa

Educator

(Law | Public administration and management)

(Polity and IR | Audit and Accounting)

अध्याय 13

धारा 298 => नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी →

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

अपराध कारित किए जाने के पश्चात 6 मास के भीतर-भीतर

DrGenius Academy

धारा २९९ ⇒ अपराध के अभियोजन के संबंध में <u>शक्तियाँ</u> →

नगरपालिका —

① <u>समझौता</u> कर सकेगी —

② अभियोजन को प्रत्याहृत कर सकेगी।

③ <u>अपराधों</u> → <u>प्रशमन</u> (<u>Compoundable</u>)

धारा 300 ⇒ नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए –

⇓

शास्ति की अदायगी + नुकसान की पूर्ति का भी जाएगी

नुकसानी के
विवाद → मजिस्ट्रेट करेगा फैसला जिसने सिद्धदोष ठहराया है

धारा 301 → कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना →

Section → 167, 236, [2018 245ख, 297-क, 297ख, 297-ग]

धारा 302 ⇒ प्रक्रिया त्रुटियुक्त होते हुए भी कारवाई विधिपूर्ण होगा →

DrGenius Academy

धारा 303 ⇒ <u>वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया</u> →

धारा 304 ⇒ <u>नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद</u> →

(i) तब तक कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक उनका लिखित नोटिस, वाद हेतुक, चाहे गए अनुतोष का स्वरूप, दावाकृत प्रतिकर की रकम

तथा आरोपित वादी के नाम व निवासस्थान का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उस परिदत्त करने के बाद दो माह समाप्त न हो गए हों।

धारा 305 :- कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किया जाना →

(injunction)

धारा 306 => समझौता करने की शक्ति →

↓

(1) प्रशमन, समझौता

(2) नगरपालिका निधि से प्रतिकर दे सकेगी

(3) नगरपालिका निधि किसी सिविल कार्यवाही के व्यय का संदाय करने के दायित्वाधीन होगी।

धारा 307 ⇒ नगरपालिका अभिलेखों को

सत्यापित करने की रीति →

↓

वैध प्राधिकारी / इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति

↓

प्रथम दृष्टया साक्ष्य के

रूप में उपयोग किया

जा सकेगा

धारा 308 ⇒ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को सम्मन करने पर निर्बन्धन →

↓

जब तक कि विशेष कारण से न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसी अपेक्षा न की जाए।

अध्याय - 15

धारा 309 => निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्तियां और शक्तियां →

धारा 310 => निरीक्षण व पर्यवेक्षण की शक्तियां →

DrGenius Academy

धारा 311 => नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति →

धारा 312 => नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलम्बित करने की शक्ति →

↓

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे अधिकारी की राय में

DrGenius Academy

धारा 313 => आपात की दशा मे असाधारण शक्तियां →

↓

DM

धारा 314 => आपात समय मे नगरपालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यपेक्षा का अनुपालन →

DrGenius Academy

धारा 315 ⇒ सार्वजनिक संकर्मों के निष्पादन के लिए प्राधिकरण →

धारा 316 ⇒ राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संकर्मों के संबंध में विशेष उपबन्ध →

DrGenius Academy

धारा 317 ⇒ नगरपालिका मामलों की सरकार द्वारा जांच →

① राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी

② ऐसी जांच अधिकारी को वही शक्तियां प्राप्त होगी जो cpc;1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित है –

DrGenius Academy

धारा 318 ⇒ कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति →

↓

धारा 319 ⇒ नगरपालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालना की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति –

धारा 320 => नगरपालिका की स्थापना होने तक
उनकी शक्तियों का प्रयोग →

→ सृजन के 6 माह में प्रथम निर्वाचन करवाना जरूरी

→ ऐसा अधिकारी / समिति → कोई नया कर प्रस्तावित / अधिरोपित नहीं करेगा।

धारा 321 :- उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि है, सरकारी देयों का संदाय करने का निर्देश देने की सरकार की शक्ति -

धारा 322 क्षमता न होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगरपालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति →

DrGenius Academy

धारा 323 => नगरपालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद →

विवाद → उसी जिले के अधिकारी => कलेक्टर

अन्य मामलों में ⟶ संभागीय आयुक्त

धारा 324 ⇒ नगरपालिका तथा नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच विवाद →

↙ राज्य सरकार

धारा 325 ⇒ सरकार की नगरपालिकाओं की उपविधियों/नियमों को रद्द करने/उपांतरित करने की शक्ति →

धारा 326 ⇒ सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन –

अपवाद

धारा → 3, 6, 7, 67, 94, 102, 103, 107, 111, 142, 297, 318, 322, 325, 337, 337, 340 या अपील प्राधिकारी नियुक्त करने की शक्ति

धारा 327 → अभिलेख मंगवाने की शक्ति →

राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय व अनुबंध) नियम, 1974

11-2-1975

कब से प्रभावी → राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 माह पश्चात प्रभावी होगे।

16-3-1975

नियम 2 परिभाषाएं →

(i) बोर्ड – नगर परिषद्

(ii) क्रय अधिकारी / मांगकर्ता अधिकारी → कार्यपालक

(iii) कार्यपालक अधिकारी → नगरपरिषद् का आयुक्त

नियम 3 → निविदा द्वारा सामान का क्रय और कार्य का निष्पादन आदि →

↓

कोई भी संविदा → तब तक नहीं की जाएगी जब तक निविदाएँ सम्यक रूप से आमंत्रित न कर ली जाएं तथा सक्षम अधिकारी (नियम-14) से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो।

→ 1000/- सामान क्रय
2000/- कार्य निष्पादन } No Need for bid

नियम 4(क) → सामान के क्रय की निविदाओं के मामले में, निविदाएं आमंत्रित करने के लिए निम्न समय सीमा का पालन किया जाएगा—

(i) 1 लाख तक के सामान क्रय के लिए — 7 दिन

(ii) 1 लाख - 10 लाख ———————— 10 दिन

(iii) 10 लाख - 100 लाख ———————— 15 "

(iv) 100 लाख से अधिक ———————— 30 दिन

24 hr की कटौती → अधिकारियों द्वारा गठित समिति द्वारा

THANK YOU

For Join Our Session

+91-9636280355 www.drgenius.academy.com